न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी सी. आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 13/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

दीवान हाऊसिंग फाईनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय– वार्डन हाऊस, द्वितीय तल, सर पी. एम. रोड़, फार्ट, मुम्बई–400001 तथा शाखा कार्यालय –302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम. आई. रोड़, जयपुर, राजस्थान। ... प्रार्थी

बनाम

1. लालचन्द सैनी, निवासी–खसरा नम्बर 545, वार्ड नम्बर 36, प्लॉट नम्बर 26, मौहल्ला चिड़िया टीबा, ढ़ाणी पुरोहितान, राधाकृष्णपुरा, जिला सीकर, राज़स्थान–332001।

एवं

वार्ड नम्बर 38 नया, 37 पुराना, पुरोहित जी की ढ़ाणी, चिड़िया टीबा, सीकर, राजस्थान–332001।

एवं

कार्यालय पताः– कल्याण सर्किल पोलिस चौकी के सामने, सीकर, राजस्थान– 332001।

(ऋणी/बंधककर्ता)

2. विमला देवी, निवासी–खसरा नम्बर 545, वार्ड नम्बर 36, प्लॉट नम्बर 26, मौहल्ला चिड़िया टीबा, ढ़ाणी पुरोहितान राधाकृष्णपुरा, जिला सीकर, राजस्थान–332001।

एवं

वार्ड नम्बर 38 नया, 37 पुराना, पुरोहित जी की ढ़ाणी, चिड़िया टीबा, सीकर, राजस्थान–332001।

(सहऋणी)

...अप्रार्थीगण

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांकः 13 मई, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **ईश्वर लाल यादव** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण लालचन्द सैनी, विमला देवी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **आवासीय प्लॉट नम्बर 26 जो कि खसरा नम्बर 545, वार्ड नम्बर 36, मौहल्ला चिड़िया टीबा, ढ़ाणी पुरोहितान, राधाकृष्णपुरा, तहसील व जिला सीकर, राजस्थान–332001 में स्थित है, जिसके उत्तर दिशा में प्लॉट नम्बर 25, दक्षिण दिशा में प्लॉट नम्बर 27, पूर्व दिशा में मकान सम्पतलाल पुत्र दौलाराम,**

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

पश्चिम दिशा में आम रास्ता है, को बंधक रखकर 6,83,014/–रुपये (अक्षरे रूपये छः लाख तीयासी हजार चौदह मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 20.07.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर ऋणी को नोटिस जारी किया गया। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 20.07.2018 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **लालचन्द सैनी, विमला देवी** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **आवासीय प्लॉट नम्बर 26 जो कि खसरा नम्बर 545, वार्ड नम्बर 36, मौहल्ला चिड़िया टीबा, ढ़ाणी पुरोहितान, राधाकृष्णपुरा, तहसील व जिला सीकर, राजस्थान–332001 में स्थित है, जिसके उत्तर दिशा में प्लॉट नम्बर 25, दक्षिण दिशा में प्लॉट नम्बर 27, पूर्व दिशा में मकान सम्पतलाल पुत्र दौलाराम, पश्चिम दिशा में आम रास्ता है,** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांकः 13 मई, 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी. आर. मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner